

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3- 6/2013/32
प्रति,

भोपाल दिनांक 31/ 8 /2014

1. कलेक्टर,
जिला-इंदौर
2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय इंदौर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत इंदौर
4. आयुक्त नगर निगम
इंदौर जिला इंदौर

विषय :-इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चरप्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

(एस.के. मुद्गल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क0-एफ 3- 6/2013/32

भोपाल दिनांक 31/ 8 /2014

प्रतिलिपि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

लेवनारुप
सामग्री है

Government of Madhya Pradesh
Housing And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 01/08/14..

No. F-3-6/2013/32: It is hereby notified that the state government proposes to modify the provisions of Indore Development Plan 2021 under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE


Modifications have been proposed in clause 6.9 of Indore development plan 2021 appendix A, serial number-3 column number-5 of table-4, first remark of table-5, column number-2 of table-4 and table-5, the heading of table-5, serial number-1 column 7 of table-5 and column number 6 of table number 4.

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Indore, Joint Director, Town and Country Planning, Indore as well as on the website www.mptownplan.nic.in.

Henc State Government hereby proposes to publish modifications for the public information under section 23(a)(2) of the Act, copy of which shall be available for inspection to the public in the office of the Collector Indore, Joint Director, Town and Country Planning, Indore after publication of this notice in the daily Newspapers during office hours of working days.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Housing and Environment Department, Mantralaya, Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, Indore.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,


(Varsha Naolekar)
Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Housing And Environment Department

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल दिनांक ०१/८/१५.....

क्रमांक एफ-३/६/२०१३/३२ :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) १९७३ (क्रमांक-१ सन् २०१२), की धारा-२३-क की उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रावधान अन्तर्गत राज्य शासन ने इंदौर विकास योजना २०२१ में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्ताव किए हैं।

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

इंदौर विकास योजना २०२१ की कंडिका ६.९ के परिशिष्ट अ सारणी ४ के अनुक्रमांक-३ कॉलम ५, परिशिष्ट अ सारणी ५ प्रथम टिप्पणी, परिशिष्ट अ सारणी ४ एवं ५ के कॉलम न २, परिशिष्ट अ सारणी-५ के शीर्षक परिशिष्ट अ सारणी ५ के अनुक्रमांक-१ कॉलम न ७, परिशिष्ट अ सारणी ४ में कॉलम न ६, में उपांतरण प्रस्तावित किये गये हैं।

- १ उपरोक्त उपांतरण के विस्तृत विवरण का अवलोकन कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.nic. पर अथवा कलेक्टर कार्यालय इंदौर के सूचना पटल या संयुक्त संचालक जिला-कार्यालय इंदौर में किया जा सकता है।
- २ अतः उक्त अधिनियम की धारा २३ (क)(२) के अधीन राज्य सरकार उपांतरण के प्रारूप को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करती है, जिसकी प्रति संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला-कार्यालय इंदौर एवं कलेक्टर इंदौर के कार्यालय में इस सूचना के स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
- ३ उक्त उपांतरण विवरण के प्रावधान के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे इस सूचना के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से १५ दिन की कालावधि के भीतर राज्य सरकार या संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर को लिखित रूप से प्रस्तुत किये जावे।

(वर्षा नावलेकर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

सूचना

भोपाल, दिनांक 11/8/2014

क्रमांक एफ-3-6/13/32 एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा 23(क)(1)(क) के प्रावधान अन्तर्गत इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण किए जाना प्रस्तावित है :-

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

| क्र. | विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण |
|------|--|
| 1. | <p>अध्याय 6 इन्दौर विकास योजना 2021 के उपांतरण में परिशिष्ट अ सारणी 4 के अनुक्रमांक 3 कॉलम 5 में 24 मीटर तथा अधिक के लिये एफ.ए.आर. 1.75 रखा गया है। उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रस्थापित किया जाता है।</p> <p>म0प्र0भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार ऊँचे भवन 30 मीटर की ऊँचाई के बाद होने के कारण 24 मीटर से 30 मीटर तक ऊँचाई के भवन हेतु एफ.ए.आर. इन्दौर विकास योजना 2021 के अनुसार 1:2.0 रखा जाना प्रस्तावित है।</p> |
| 2. | <p>अध्याय 6 उपांतरण के परिशिष्ट अ सारणी 5 में प्रथम टिप्पणी निम्नानुसार है :- *सारणी चार में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अन्य उपयोग हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊँचाई एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे। उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाना प्रस्तावित है।</p> <p>सारणी 5 में ऊँचे भवनों हेतु प्रावधान होने के कारण प्रथम टिप्पणी विलोपित की जाती है।</p> |
| 3. | <p>उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में "मीटर में मार्ग की ऊँचाई" अंकित है। उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।</p> <p>उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर "मीटर में मार्ग की ऊँचाई" के स्थान पर "मीटर में मार्ग की चौड़ाई" मान्य किया जाना प्रस्तावित है।</p> |
| 4. | <p>उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के शीर्षक में नियम 2(30) अंकित है।</p> |

| | |
|----|---|
| | उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। उपरोक्त सारणी 5 में नियम 2(30) के स्थान पर नियम 2(38) किया जाना प्रस्तावित है। |
| 5. | उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में "45 मीटर" अंकित है। उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर "45 मीटर" को "45 मीटर तक" किया जाना प्रस्तावित है। |
| 6. | उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 में कॉलम नं. 6 में भूतल अच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत अंकित है। उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 के कॉलम नं. 6 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। परिशिष्ट अ सारणी 4 में निम्न टिप्पणी जोड़ी जाना प्रस्तावित हैं :- जहाँ भूउपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी 4 के कालम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्य होगा। |

सारणी-4

परिशिष्ट -अ

भूखण्ड/भूमियां जिन पर 12.5 मीटर तथा 30 मीटर तक की उंचाई वाले प्रस्तावित हैं
भवनों के लिये विकास मानदण्ड

| अनु क्रमांक | मीटर में मार्ग की चौड़ाई | न्यूनतम भूखण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र | अग्रभाग मीटर में | *फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) | भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता | भवन की उंचाई मीटर में | सामने का खुला स्थान मीटर में | बगल का/पृष्ठ भाग का एम.ओ.एस. मीटर में |
|-------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 12 मीटर तथा अधिक | 1000 वर्ग मीटर | 18 मीटर | 1:1.30 | 30 | 18 मीटर | 7.5 | 6.0 |
| 2. | 18 मीटर तथा अधिक | 1500 वर्ग मीटर | 21 मीटर | 1:1.50 | 30 | 24 मीटर तक | 9.0 | 6.0 |
| 3. | 24 मीटर तथा अधिक | 2000 वर्ग मीटर | 30 मीटर | 1:2.0 | 30 | 30 मीटर तक | 12.00 | 7.5 |

टिप्पणी : *जहाँ भूमि उपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी चार के कालम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्य होगा।

**सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊँचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे।

(2) नियम 2 (38) में यथा परिभाषित उंचे भवनों के लिये योजना मानदण्ड सारणी क्रमांक 5 में दिए गए अनुसार होंगे -

सारणी-5

नियम 2 (38) में यथा परिभाषित उंचे भवनों के लिये भूखण्ड/भूमियां जिन पर उंचे भवन प्रस्तावित हैं, के लिये विकास मानदण्ड

| अनु क्रमांक | मीटर में मार्ग की चौड़ाई | न्यूनतम भूखण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र | अग्रभाग मीटर में | *फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर) | भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता | भवन की उंचाई मीटर में | एम.ओ.एस. अग्रभाग मीटर में | बगल का/पृष्ठ भाग का एम.ओ.एस. मीटर में |
|-------------|--------------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 30 मीटर तथा अधिक | 2500 वर्ग मीटर | 30 मीटर | 1:2.0 | 30 | 45 मीटर तक | 15.00 | 7.5 |
| 2. | 36 मीटर तथा अधिक | 3000 वर्ग मीटर | 40 मीटर | 1:2.0 | 30 | 60 मीटर तक | 18.00 | 9.0 |
| 3. | 45 मीटर तथा अधिक | 3500 वर्ग मीटर | 45 मीटर | 1:2.0 | 30 | 75 मीटर तक | 21.00 | 9.5 |
| 4. | 60 मीटर तथा अधिक | 4000 वर्ग मीटर | 50 मीटर | 1:2.0 | 30 | 90 मीटर तक | 24.00 | 10 |
| 5. | 75 मीटर तथा अधिक | 4500 वर्ग मीटर | 60 मीटर | 1:2.0 | 30 | 90 मीटर तक | 30.00 | 12 |

टिप्पणी : *सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊँचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे। उपरोक्त टिप्पणी विलोपित की जाती है।

